

रिपोर्ट पदावली हस्ता/अधिकारधारक सिंगनौर
 आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिले के अनुसार राजस्व ग्राम सिंगनौर की जमावली वार 2015-16 से 2018-19 तक के मासिक व मासिक भीत वित्त का गणना दर्ज है जो जलत से धारिका के रकम कई भ्रष्टाचार हैं भीमसिंह पुत्र गिरधारी (अपराधी धन-दर्शन) भ्रष्टाचार पदावली धारिका के भ्रष्टाचार भीमसिंह पुत्र गिरधारी धन-दर्शन किया जाना है (उपरोक्त)।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

क्रमांक : राजस्व/2020/

दिनांक -

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त करने जानी की अभियोग की जाती है /नहीं की जाती है।

दुरुस्त किया जाना उचित है।

09/11/2021
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

प्रशासन कार्यों के संग अभियान 2021

न्यायालय उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)

-- आदेश --

दिनांक :- 9-11-21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमावन्दी सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	सिंगनौर	2015-2018	584	भीमसिंह पुत्र गच्छू	भीमसिंह पुत्र गिरधारी 010

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
 दिनांक :- 9-11-21

क्रमांक :- राजस्व/2020/887-888

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया

को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी